न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, करौली (राज०)
पीठासीन अधिकारी - देवेन्द्र कुमार, आर.जे.एस

नियमित आपराधिक प्रकरण /सीआईएस संख्या - 1704/ 2023
एफआईआर संख्या- 101/2023, पुलिस थाना लांगरा
अपराध अन्तर्गत धारा 323, 341, 325, 34 भादंसं

भाग प्रथम (A)

परिवादी	राज. राज्य
प्रतिनिधित्व द्वारा	अभियोजन अधिकारी
अभियुक्तगण	01-नरेश पुत्र मनवर उर्फ खुटटी 02- रंगी पुत्र रामदयाल सभी निवासी बाटदा थाना लांगरा जिला करौली (राज.)
प्रतिनिधत्व द्वारा	विद्वान अधिवक्ता श्री संजेश शर्मा
(B)	
अपराध की दिनांक	25.09.2023
प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक	26.09.2023
आरोप पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक	09.11.2023
आरोप की दिनांक	05.12.2023
साक्ष्य प्रारंभ की दिनांक	15.12.2023
निर्णय आरक्षित करने की दिनांक	19.06.2026
निर्णय दिनांक	19.06.2026
दण्डादेश की दिनांक	19.06.2026

भाग द्वितीय

अभियोजन/बचाव/न्यायालय गवाह की सूची

अभियोजन गवाहान

पी.ड.	**नाम गवाह**	**गवाह बाबत**
पी.ड. 1	हरकेश	परिवादी/मजरूब
पी.ड. 2	रामवीर	नक्शा मौका
पी.ड. 3	हल्के	चश्मदीद
पी.ड. 4	डा. शैतान सिंह	चिकित्सक
पी.ड. 5	डा. जीतेन्द्र	चिकित्सक
पी.ड. 6	रामदयाल	अनुसंधान अधिकारी
पी.ड. 7	निक्की	मजरूब

बचाव पक्ष गवाहान

--	--	--

न्यायालय गवाह

--	--	--

अभियोजन/बचाव/न्यायालय प्रदर्श

अभियोजन प्रदर्श

दस्तावेज	नाम दस्तावेजात
प्रदर्श पी 1	तहरीरी रिपोर्ट
प्रदर्श पी 2	चॉक एफआईआर
प्रदर्श पी 3	नक्शा मौका
प्रदर्श पी 4	एमएलआर हरकेश
प्रदर्श पी 5	एक्सरे रिपोर्ट हरकेश
प्रदर्श पी 6	एमएलआर निक्की

बचाव प्रदर्श

न्यायालय प्रदर्श

--	--

निर्णय दिनांक : 19.06.2026

1. इस निर्णय के द्वारा थानाधिकारी पुलिस थाना लांगरा की ओर से जरिये अभियोजन अधिकारी प्रस्तुत एफआईआर संख्या 101/2023 का निस्तारण किया जा रहा है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी हरिकेश द्वारा इस आशय की लिखित रिपोर्ट पेश की कि दिनांक 25.09.2023 को समय करीब 4 बजे उसने डिमोखरी के तालाब पर मछली पकडने से कुछ लोगों को मना किया तो इसी बात को लेकर वह व निक्की के साथ इन लोगों ने मारपीट कर दी तथा पत्थर फेंके जिससे निक्की के सिर पर चोट आयी और उसके हाथ की उंगली पर चोट आयी तथा बचाने पर उसके चेहरे पर हाथ में खरोंच आयी तथा उक्त घटना नरेश, संजय, रंगी ने की है.....आदि

3. उक्त लिखित रिपोर्ट पर पुलिस थाना लांगरा द्वारा एफआईआर संख्या 101/2023 अंतर्गत धारा 323, 341, 336, 34 भादंसं में पंजीबद्ध किया जाकर बाद अनुसंधान अभियुक्तगण नरेश व रंगी के विरूद्ध धारा 323,341,325,34 भादंसं में आरोप पत्र पेश किया।

4. अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 323,341,325,34 भादंसं में प्रसंज्ञान लिया जाकर आरोप पृथक से लिखित में विरचित कर सुनाया गया। अभियुक्तगण द्वारा आरोप से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

5. अभियोजन साक्ष्य समाप्ति के पश्चात अभियुक्तगण के धारा 313 जा.फौ. में बयान मुल्जिम लेखबद्ध किये गये। अभियुक्तगण द्वारा अभियोजन साक्ष्य को गलत होना व्यक्त करते हुये स्वयं का निर्दोष होना व झूठा फंसाया जाना जाहिर करते हुये साक्ष्य सफाई पेश नहीं करना जाहिर किया।

6. बहस अंतिम सुनी गई। दौराने बहस अभियोजन अधिकारी का तर्क रहा है कि हस्तगत प्रकरण में अभियोजन की ओर से हस्तगत प्रकरण पूर्णतः प्रमाणित है। अतः अभियुक्तगण को दोषसिद्ध किया जावें।

7. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता बचाव पक्ष का तर्क रहा है कि हस्तगत प्रकरण अभियुक्तगण के विरूद्ध झूठा मनगढंत तथ्यों के आधार पर दर्ज हुआ है। प्रकरण में किसी भी गवाह के द्वारा घटना की ताईद नहीं की है। परिवादी न्यायालय के समक्ष पूर्ण रूप से परीक्षित ही नहीं हुआ है। हस्तगत प्रकरण रंजिशवश किया है। परिणामतः अभियोजन अधिकारी अभियुक्तगण के विरूद्ध उक्त अपराध संदेह से परे साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया जावे।

8. न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह है कि अभियुक्तगण द्वारा **दिनांक 25.09.2023 को किसी समय डिमोखरी के तालाब पर सामान्य आशय के अग्रसरण में मजरूब हरिकेश व निक्की का सदोष अवरोध कारित कर उनके साथ कुंद हथियार से साधारण एवं मजरूबान हरिकेश के गंभीर उपहति कारित की।**

9. यदि हाँ तो दंड की मात्रा क्या होगी ?

10. उभयपक्षों को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

11. विचारणीय प्रश्न के संबंध में पत्रावली पर आयी साक्ष्य का विश्लेषण करें तो प्रकरण में परिवादी हरिकेश पी.ड.1 के तौर पर परीक्षित हुआ है जो अपनी मुख्य परीक्षा में लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 के तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुये प्रकट करता है कि करीब साल भर पहले शाम 4 बजे की बात है। वह अपनी भैंसो केा पानी पिलाने के लिए हमारे गांव के ताल पर गया था तो वहां पर बाटदा का नरेश व उसका साथी रंगी जो ताल के अंदर पानी में घुसकर मछली पकड़ रहे थे। उसने और निक्की ने उनसे कहा कि ताल के पानी को गंदा मत किया करो। इसी बात से नाराज होकर नरेश व रंगी ने उससे व निक्की से गाली गलौच की और दोनों के साथ मारपीट की। नरेश ने डंडे की उसके हाथ पर मारी जो मेरी उंगली और हाथ पर लगी तथा ताल पर मौजूद रामवीर व हल्के ने बीचबचाव कराया। इस घटना की थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई जिसकी तहरीर रिपोर्ट प्रदर्श पी 01, चाक एफआईआर प्रदर्श पी 02, मौका नक्शा प्रदर्श पी 03, मेरी चोटों का मेडिकल प्रदर्श पी 04 है।

12. प्रतिपरीक्षा में गवाह व्यक्त करता है कि तालाब पके पास रामवीर, सिरमोहर और भी खेत है। तालाब सरकारी है। पानी गंदा करने को लेकर झगडा हुआ, झगडे के समय रामवीर, निक्की झगडा होने के बाद आये, झगडे के समय अकेला था। तालाब के पाड पर रास्ता पक्का है जो चालू रहता है। वह अकेला था तथा वे तीन लोग थे। आपस में दोनों पक्षों ने पत्थर फेंके और वह झगडे के समय आगे थे। निक्की गिर गया था जिससे उसके सिर पर चोट आयी। इस मुकदमा के अलावा उनके खिलाफ क्रॉस केस चल रहा है, इसके अलावा रामवीर व निक्की के अलावा अन्य कोई मौजूद नहीं था।

13. प्रकरण में अन्य मजरूब निक्की पी.ड.04 परीक्षित हुआ है जो अपनी मुख्य परीक्षा में व्यक्त करता है कि करीब दो साल पहले शाम चार बजे की बात हैं। वह डिमोखरी के तालाब के पास खडा हुआ था। वहां पर उसके पिता हल्के व रामवीर भी खडे हुये थे तभी ताल पर हरकेश भैंसो को पानी पिलाने आया। थोडी देर बाद ताल में मछली पकडने के लिए नरेश, रंगी व इनके साथ एक व्यक्ति और था, आये। हरकेश ने लोगों से कहा कि ताल से मछली मत पकडो पानी गंदा हो जायेगा। ये लोग नहीं माने और हरकेश के साथ लाठी से मारपीट करने लग गये जिससे उसकी हाथ की उंगलिया टूट गयी। जब हरकेश चिल्लाया तो वह बचाने गया तो मुलजिमान ने उसके सिर में लाठी की मारी जिससे उसके सिर में चोट आयी। हमारा बीच–बचाव रामवीर व पिता हल्के ने कराया था। उसकी चोटो की एमएलआर प्रदर्श पी 06 है।

14. जिरह में गवाह व्यक्त करता है कि घटना की रिपोर्ट उसने दर्ज नहीं करायी। हरकेश ने करायी थी। झगडा हुआ था तब वह तालाब में अंदर था। वह झगडे वाली जगह से करीब 100 फुट दूर था। वह झगडे के 10–15 मिनट बाद आया था। वह तालाब में भैंसो को नहलाने गया था। हरकेश के पास सरकारी तालाब में मछली पालने का कोई लाईसेंस नहीं हैं। हरकेश वगैरह मछलिया पकडते है या नहीं पता नहीं है। वह नहीं बता सकता कि उसके पिताजी व रामवीर ताल पर क्यों आये थे। शाम के चार बजे की घटना है तारीख मुझे याद नहीं हैं। हरकेश भाई लगता हैं। हरकेश व मुलजिमान अलग–अलग गांव के हैं। वह केवल मुलजिमान के गांव का है।

15. गवाह रामवीर पी.ड.02 परीक्षित हुआ है जो अपनी मुख्य परीक्षा में कथन करता है कि साल भर पहले वह अपनी भैंसो को पानी पिलाने के लिए हमारे गांव के ताल पर गया था तो वहां पर बाटदा का नरेश व उसका साथी रंगी जो ताल के अंदर पानी में घुसकर मछली पकड़ रहे थे। उनसे हरकेश और निक्की ने कहा कि ताल के पानी को गंदा मत किया करो। इसी बात से नाराज होकर नरेश व रंगी ने हरकेश व निक्की से गाली गलौच की और उन दोनों के साथ मारपीट की। हल्ला सुनकर वह व हल्के पहुंचे और उनका बीचबचाव कराया। इस घटना की हरकेश ने थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस घटना का मौका देखने आई।

16. जिरह में गवाह व्यक्त करता है कि हरकेश उसका भतीजा है। निक्की मेरा पड़ोसी है। हमारा घर ताल के पास में है। यह सही है कि हम ताल के पास ही रहते है। मुलजिमान मछली पकड़ रहे थे हम चाहते थे कि ये मछली ना पकड़े। मछली तालाब में कहां से आई मुझे पता नहीं है। तालाब बारिश ना होने के कारण सूख जाता है। अधिक बारिश होती है तो तालाब भर जाता है। यह सही है कि मुलजिमान ने उसके साथ मारपीट नहीं की थी। यह सही है कि वह पहुंचा तब तक झगड़ा बंद हो चुका था। उसने बीचबचाव नहीं कराया था। उसने हरकेश व निक्की की चोटें देखी थी। जो हरकेश के हाथ की उंगली में व निक्की के सिर में चोट आई थी। चोटें पत्थर डंडे से आई थी। मुलजिमान जाल से मछली पकड़ रहे थे। मौके पर काफी लाठियां पड़ी हुई थी। यह सही है कि तालाब सूख जाता है तब मछलियां

मर जाती है। तालाब की हर साल मोरी आ जाती है जिसमें बहकर मछलियां आ जाती है। बाटदा गावं के कईयों जातियों के लोग मछलियां पकड़ने हमारे तालाब में आते है। हम सभी लोगों से मछली पकड़ने की मना करते है। यह सही है कि तालाब सार्वजनिक है। यह सही है कि तालाब हमारा व्यक्तिगत नहीं है। झगड़े में मुस्तगीस के मौके पर खून निकले थे। खून से कपड़े सने थे। पुलिस में मेरे बयान हुए थे। बयान मेरे दो या तीन दिन बाद लिए थे। यह कहना गलत है कि हम तालाब पर अधिकार करना चाहते हो। मुलजिमान मौके से भाग गए थे। हमने मुलजिमान का पीछा नहीं किया था। यह कहना गलत है कि मुस्तगीस के गिरने से चोटे आई हो और उसकी कोई मारपीट ना की हो।

17. गवाह हल्के पी.ड.03 परीक्षित हुआ है जो अपनी मुख्य परीक्षा में व्यक्त करता है कि वह अपनी भैंसो को पानी पिलाने के लिए हमारे गांव के ताल पर गया था तो वहां पर बाटदा का नरेश व उसका साथी रंगी जो ताल के अंदर पानी में घुसकर मछली पकड़ रहे थे। उनसे हरकेश और निक्की ने कहा कि ताल के पानी को गंदा मत किया करो। इसी बात से नाराज होकर नरेश व रंगी ने हरकेश व निक्की से गाली गलौच की और उन दोनों के साथ मारपीट की। हल्ला सुनकर वह व रामवीर पहुंचे और हमने उनका बीचबचाव कराया।

18. प्रतिपरीक्षा में गवाह व्यक्त करता है कि निक्की मेरा बेटा है। हरकेश भतीजा लगता है। यह सही है कि तालाब के दोनों तरफ हमारे मकान है। तालाब सरकारी है। तालाब में मछली हरकेश व अन्य कई लोगों ने डाली थी। हरकेश वगैरह के पास मछली सरकारी तालाब में डालने का लाईसेंस नहीं है। हरकेश वगैरह भी तालाब में से मछलियां निकालकर खाते है। हरकेश वगैरह तालाब में से मछली निकालते है या नहीं मुझे पता नहीं है। उसके पहुंचने से पहले ही मुलजिमान व मुस्तगीस में आपस में मारपीट हो चुकी थी। उसके बच्चे निक्की के मुलजिमानों ने जान बूझकर चोट नहीं मारी थी बीचबचाव में लगी थी। यह सही है कि सरकारी तालाब में से कोई भी मछली पकड़ सकता है। मुस्तगीस के मना करने पर मुलजिमान व मुस्तगीस मे झगड़ा हुआ था। उसने तो केवल झगड़ा होते देखा है। मारपीट में हरकेश की उंगली टूट गई थी व उसके बेटे निक्की के सिर में चेाट आई थी। किसने किसके चोट मारी मुझे पता नहीं है। उसने तो बाद में चोटें देखी थी।

19. अनुसंधान अधिकारी रामदयाल पी.ड.2 संपूर्ण अनुसंधान की ताईद करते हुये प्रतिपरीक्षा में व्यक्त करता है कि एफआईआर मुस्तगीस ने उसी दिन समय 4 पीएम पर पेश की थी लेकिन लिखित टाईपशुदा पर समय पुलिस कार्यवाही 13.30 मिनट के आसपास की थी। उसके समक्ष कोई क्रॉस मुकदमा दर्ज नहीं हुआ फिर कहा दर्ज हुआ हो तो जानकारी नहीं।

20. इस प्रकार प्रकरण में परिवादी हरकेश एवं मजरूब निक्की की संपूर्ण साक्ष्य का विश्लेषण करें तो प्रकरण में प्रकरण में लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 हरिकेश के द्वारा लेखबद्ध करवायी है जिसमें उसके द्वारा तालाब से मछली पकडने की मना करने पर नाराज होकर अभियुक्तगण द्वारा स्वयं तथा अपने साथी निक्की के साथ मारपीट किया जाना अभिलिखित करवाया है। इस संबंध में परिवादी

हरिकेश अपने सशपथ बयानों में लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 की पुष्टि करते हुये नरेश व उसके साथी रंगी का तालाब में अंदर घुसकर मछली पकडते समय उनसे मना करने पर नरेश व रंगी का नाराज होकर उससे व निक्की से गाली गलौच करते हुये मारपीट किया जाना तथा उसकी अंगुली पर डंडे से चोट आना व्यक्त किया है। मजरूब पी डी 4 भी हरिकेश का तालाब पर भैंसों को पानी पिलाने आने पर नरेश, रंगी का तालाब में मछली पकडने की बात को लेकर हरिकेश के साथ लाठी से मारपीट कर उसके हाथ की अंगुली पर चोट कारित किया जाना तथा चिल्लाने पर उसके द्वारा बीच बचाव करने पर उसके सिर पर लाठी की चोट मारा जाना व्यक्त करता है। घटना के चश्मदीद गवाह रामवीर पी.ड.2 व हल्के पी.ड.3 भी मुलजिमान के द्वारा मजरूबान के साथ की गयी मारपीट के तथ्य की पुष्टि करते हुये स्वयं के द्वारा बीच बचाव कराया जाना व्यक्त करते हैं। अतः संपूर्ण साक्ष्य से यह तथ्य प्रकट होता है कि अभियुक्तगण द्वारा सामान्य आशय के अग्रसरण में मजरूबान को रोककर उनके साथ कुंदालय से मारपीट कर साधारण उपहति कारित की।

21. मजरूबान की चोटों के बाबत डा. शैतान सिंह पी.ड.4 के द्वारा मजरूबान के शरीर पर आयी चोटों का परीक्षण दिनांक 30-09-2023 को किया गया है जिसके द्वारा मजरूब हरिकेश के दॉये हाथ पर फैली हुयी सूजन व बॉये हाथ के डोरसन सरफेस पर खोंच तथा मजरूब निक्की के ललाल पर टांके लगा घाव होना व्यक्त करते हुये बाद एक्सरे मजरूब हरिकेश के दॉये हाथ की रिंग फिंगर में अस्थि भंग पाया जाना प्रकट किया है। इस संबंध में डा. जीतेन्द्र पी.ड.5 बतौर रेडियोलोजिस्ट मजरूब हरिकेश के दॉये हाथ पर आयी चोटों का एक्सरे किया जाना प्रकट किया है। इस प्रकार डा. शैतान सिंह पी.ड.4 व डा. जीतेन्द्र पी.ड.5 की साक्ष्य एवं मजरूब हरिकेश के एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श पी 5 से मजरूब हरिकेश की गंभीर प्रकृति की चोटों की पुष्टि होती है। इस प्रकार मजरूबान के साथ मारपीट की पुष्टी चोट प्रतिवेदनों से भी होती है।

22. ऐसी स्थिति में पत्रावली पर आयी संपूर्ण साक्ष्य से यह तथ्य संदेह से परे प्रमाणित है कि अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 25.09.2023 को किसी समय डिमोखरी के तालाब पर सामान्य आशय के अग्रसरण में मजरूब हरिकेश व निक्की का सदोष अवरोध कारित कर उनके साथ कुंद हथियार से साधारण एवं मजरूबान हरिकेश के गंभीर उपहति कारित की। अतः अभियुक्तगण को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 323, 341, 325, 34 भादंसं संदेह से परे प्रमाणित पाये जाने पर दोषसिद्ध किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है

आदेश

23. अतः अभियुक्तगण 01-नरेश पुत्र मनवर उर्फ खुटटी 02- रंगी पुत्र रामदयाल सभी निवासी बाटदा थाना लांगरा जिला करौली (राज.) को **धारा 323, 341, 325, 34 भादंसं में दोषसिद्ध** घोषित किया जाता है।

(देवेन्द्र कुमार)

28. सजा के प्रश्न पर उभयपक्ष को सुना गया। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण ने निवेदन किया कि अभियुक्तगण का यह प्रथम अपराध है तथा प्रकरण करीबन 04 वर्ष पुराना है, अभियुक्तगण लंबे समय से अन्वीक्षा भुगत रहे है। अतः उसे कारावासीय सजा से दण्डित न किया जाकर परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाकर सुधरने का एक अवसर दिया जावे। विद्वान अभियोजन अधिकारी ने उक्त तर्को का विरोध करते हुए सजा से दण्डित किये जाने का निवेदन किया। उभयपक्ष के तर्को पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन करें तो प्रकरण में अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध व आरोपित अपराध में विहित दण्ड व प्रकरण की समस्त परिस्थितियों का समेकित रूप में दृष्टिगत रखते हुये न्यायालय अभियुक्तगण को परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों पर लाभ दिया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है ।

- <u>दण्डादेश</u> -

29. एतद्द्वारा अभियुक्तगण 01-नरेश पुत्र मनवर उर्फ खुटटी 02- रंगी पुत्र रामदयाल सभी निवासी बाटदा थाना लांगरा जिला करौली (राज.) को **धारा 323, 341, 325, 34 भादंसं में दोषसिद्ध** पर तत्काल कारावास के आदेश से दण्डित ना कर, परिवीक्षा का लाभ दिया जाता है कि यदि प्रत्येक अभियुक्त धारा 4 परिवीक्षा अधिनियम के तहत 10000/- रूपये व दो वर्ष की अवधि के लिये एक सुदृढ व विश्वसनीय प्रतिभू एवं इसी राशि का स्वयं का बंध पत्र इस आशय का पेश कर न्यायालय के समक्ष संतोषप्रद प्रस्तुत कर तस्दीक कराये की पत्रावली पर आये अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा तथा समाज में सदाचार व शांति बनाये रखेगा एवं न्यायालय द्वारा तलब किये जाने पर दण्ड भुगतने हेतु उपस्थित आयेगा। साथ ही प्रत्येक अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि धारा 5 परीविक्षा अधिनियम के प्रावधानो के अनुसार 1000-1000/- रूपये कुल 2,000/- रूपये अभियोजन व्यय के रूप मे अदा करें। बाद गुजरने मियाद अपील अभियोजन राशि में से 1000/- रूपये मजरूब हरिकेश को बतौर प्रतिकर अदा किये जावे।

(देवेन्द्र कुमार)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
करौली (राज0)

30. निर्णय एवं आदेश आज दिनांक 19.06.2026 को मेरे द्वारा विवृत्त न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(देवेन्द्र कुमार)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
करौली (राज0)